<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-3/2015/350/43-2-2015-14/2(10)/06 टीसी-2</u>

प्रेषक,

एस0 एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2015

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित दण्ड की धनराशि <u>जमा करने एवं वापसी हेतु लेखा शीर्षक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के प्रेषण एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क एवं उसे जमा करने हेतु लेखा शीर्षक का सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 में उल्लेख है।

2. उपर्युक्त नियमावली में राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड को जमा किये जाने तथा दण्ड माफ होने की दशा में दण्ड की धनराशि की वापसी हेतु लेखा शीर्षक का उल्लेख नहीं है।

3. तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड की धनराशि **लेखा शीर्षक "0070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें - 60 - अन्य सेवायें - 800 - अन्य प्राप्तियां - 15 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थ दण्ड "** के मद में जमा कराये जाने तथा दण्ड माफी की दशा में उपरोक्त सम्बोधित स्तर में से अपने से संबंधित सक्षम स्तर से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के उपरान्त अधिरोपित दण्ड की धनराशि **लेखा शीर्षक "0070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें - 60 - अन्य सेवायें - 900 - घटायें वापसियां - 01- वापसियां "** के मद से वापसी कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अत: अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के सभी जनसूचना अधिकारियों को उक्त से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी-2/441/दस/2015 दिनांक-14-05-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।